

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या - 1245/2011/कोटा.

2. अपील संख्या - 1246/2011/कोटा.

मैसर्स त्रिलोक स्पाईसेज,
एफ-142, आई.पी.आई.ए., कोटा.

.....अपीलार्थी.

बनाम

1. सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन-II, कोटा.

2. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर.

.....प्रत्यर्थी.

3. अपील संख्या - 1716/2011/कोटा.

4. अपील संख्या - 1717/2011/कोटा.

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, कोटा.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स त्रिलोक स्पाईसेज, कोटा.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित ::

श्री एम. एल. पाटौदी, अभिभाषक

.....व्यवहारी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा, उप-राजकीय अभिभाषक

.....राजस्व की ओर से.

निर्णय दिनांक : 18/09/2018

निर्णय

1. उक्त चारों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर कैम्प-कोटा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 130/वेट/09-10 एवं 4/सीएसटी/10-11 में पारित किये गये संयुक्त आदेश दिनांक 11.03.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2006-07 के लिये सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, प्रतिकरापवंचन, कोटा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 24, 25, 55, 61 व 65 एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे 'केन्द्रीय अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 9 सपठित वेट अधिनियम की धारा 24, 25, 55, 61, 64, 65 के तहत पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 31.08.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार किया है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी एवं अपीलार्थी राजस्व द्वारा उक्त अपीलों प्रस्तुत की गयी हैं।

2. इन सभी अपीलों में विवादित बिन्दु एवं पक्षकार समान निहित होने से सभी प्रकरणों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।





लगातार.....2

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 21.5.2008 को किया गया था एवं व्यवहारी का वर्ष 2006-07 का सामयिक कर निर्धारण वेट अधिनियम की धारा 25(1) के तहत दिनांक 19.7.2008 को पारित किया गया था। सर्वेक्षण में यह पाया गया था कि फर्म द्वारा मिश्रित मसालों का विक्रय किया गया है उन पर वेट अधिनियम के तहत 12.5 प्रतिशत की करदेयता थी परन्तु व्यवसायी द्वारा 4 प्रतिशत से ही कर वसूल कर राजकोष में जमा करवाया गया है। इसी तरह हर्बल क्रीम की बिक्री भी 4 प्रतिशत से की जाना पाया गया जो कि 12.5 प्रतिशत से कर योग्य थी। इसके अलावा सर्वेक्षण में कुछ दस्तावेजों से यह पाया गया था कि व्यवसायी द्वारा अघोषित रूप से मिश्रित मसाले एवं क्रीम की बिक्री की गयी है, जिस पर अतिरिक्त कर, ब्याज एवं उचन्ति विक्रय किये जाने के आरोप में अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया था इसके अलावा कर निर्धारण अधिकारी ने मिश्रित मसाले एवं हर्बल क्रीम पर जिस अन्तर कर का आरोपण किया गया था उस सम्बन्ध में भी कम कर दर से माल के विक्रय को करापवचन का कृत्य मानते हुए वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया था जिसके विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जाने पर दिनांक 6.4.2009 को अपील संख्या 44/वेट/08-09/कोटा में निर्णय करते हुए प्रकरण पुनः जांच हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था। उपायुक्त (अपील्स) के प्रतिप्रेषित निर्देश के क्रम में दिनांक 31.8.2009 को वेट अधिनियम की धारा 24, 25, 55, 64, 65 के तहत कर निर्धारण आदेश पुनः पारित किया गया जिसमें अधिनियम की धारा 25 के तहत पूर्व में जो आदेश पारित किया गया था उसको सम्मिलित करते हुए पूर्ण वर्ष का कर निर्धारण आदेश पारित किया गया जिसमें ऊपर वर्णित तथ्यों के अधीन मिश्रित मसाले एवं हर्बल क्रीम पर 12.5 प्रतिशत की कर दर मानते हुए अन्तर कर का आरोपण मय ब्याज किया गया एवं अन्तर कर की दुगुनी राशि की शास्ति भी पुनः आरोपित की गयी। इसी तरह जो उचन्ति विक्रय सर्वेक्षण के दौरान पाया गया था जिसका कर निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 25 के तहत पारित किया गया था उस बिक्री राशि पर भी कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया। दिनांक 31.8.2009 के आदेश के विरुद्ध पुनः अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की जाने पर दिनांक 11.3.2011 को निर्णय किया गया, जिसमें निम्न बिन्दुओं पर निर्णय किया गया :-

(1) मिश्रित मसाले व क्रीम की उचन्ति बिक्री पर 12.5 प्रतिशत से आरोपित किये गये कर, ब्याज एवं शास्ति को यथावत रखते हुए कर निर्धारण आदेश की इस बिन्दु पर पुष्टि की गयी।

31



लगातार.....3

(2) व्यवहारी द्वारा सामान्य व्यापार में घोषित विक्रय में मिक्स मसाले एवं क्रीम की बिक्री पर 4 प्रतिशत के स्थान पर 12.5 प्रतिशत से करारोपण करने सम्बन्धी कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की भी पुष्टि की गयी एवं उस पर आरोपित ब्याज की भी पुष्टि की गयी।

(3) अपीलीय आदेश में अन्तर कर दर पर आरोपित शास्ति को इस आधार पर अपास्त किया गया कि यह समस्त विक्रय अपीलार्थी द्वारा अपने बहियात में दर्ज किये हुए थे एवं उन्होंने जानबूझकर किसी भी विक्रय को छिपाया नहीं था अतः अन्तर कर के बिन्दु पर अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति को अपास्त किया गया।

(4) अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी के धारा 25 के प्रथम आदेश दिनांक 19.7.2008 एवं उसी आदेश को पुनः धारा 24 में किये गये आदेश दिनांक 31.8.2009 के परीक्षण पर यह पाया गया कि दिनांक 31.8.2009 के आदेश में रूपये 1,31,232/- का कर दो बार आरोपित हो गया है उसे समाप्त किया गया तथा उस दोहरे आरोपित कर पर आरोपित ब्याज को भी समाप्त किया गया। इसी प्रकार केन्द्रीय अधिनियम के तहत भी दोहरा करारोपण रूपये 1,29,095/- को भी मय ब्याज समाप्त किया गया।

4. उक्त अपीलीय आदेश के विरुद्ध राजस्व की ओर से एवं प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से भी अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी।

6. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील आधारों को दोहराते हुए शास्ति को पुनर्स्थापित किये जाने का अनुरोध किया। इसके अलावा वेट अधिनियम एवं केन्द्रीय अधिनियम में आई.टी.सी. रिवर्स करने के आदेश को समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया है जिसमें रूपये 1,31,232/- एवं रूपये 1,29,095/- बताई गई है।

7. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय आदेश विधिसम्मत नहीं है एवं उनके द्वारा विक्रय किये गये मिश्रित मसाले एवं मेडिकेटेड क्रीम पर 4 प्रतिशत से ही कर आरोपणीय है, अतः अपीलीय आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।



8. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

लगातार.....4

3/

9. इस प्रकरण में राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील आधारों का परीक्षण करने पर पाया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपील प्रस्तुत करने से पूर्व अपीलीय आदेश का अध्ययन ही नहीं किया गया है क्योंकि अपील आधारों में यह लिखा गया है कि अपीलीय अधिकारी ने मसालों पर 4 प्रतिशत से कर दर को माना है जबकि अपीलीय अधिकारी ने 4 प्रतिशत न मानकर कर निर्धारण अधिकारी के 12.5 प्रतिशत कर की पुष्टि की है इससे यह प्रतीत होता है कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना सोचे-समझे ही यह अपील आधार लिया है। इसी तरह दोनों अपीलों में आई.टी.सी. रिवर्स किये जाने का बिन्दु भी लिखा गया है जिसकी राशि रूपये 1,29,095/- एवं 1,31,232/- बताई गई है जबकि यह आई.टी.सी. रिवर्स करने का मामला न होकर एक ही विक्रय पर कर की गणना दो बार की जाने से सम्बन्धित मामला था परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने बिना पढ़े ही यह अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं, जो सोचनीय है।

10. राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपीलों में केवलमात्र शास्ति अपास्त करने सम्बन्धी निर्णय के बिन्दु पर ही आक्षेप किया जाना चाहिये था एवं वह भी अन्तर कर पर आरोपित शास्ति से सम्बन्धित ही था क्योंकि उच्चन्ति बिक्री पर आरोपित किये गये कर एवं ब्याज तथा शास्ति की पुष्टि अपीलीय अधिकारी ने राजस्व के पक्ष में की है। प्रकरण में विचार पर पाया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अन्तर कर के मामले में आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने में कोई भूल नहीं की है क्योंकि व्यवहारी द्वारा क्रय-विक्रय के समस्त संव्यवहार बहियात में दर्ज किये हुए थे एवं प्रकरण में केवल कर दर सम्बन्धी विवाद ही उत्पन्न हुआ था जिसके विनिश्चय के कारण अतिरिक्त कर का आरोपण हुआ है। ऐसे समान मामलों में राजस्थान कर बोर्ड एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक निर्णयों में अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि कर दर पर विवाद के मामलों में करवंचना की शास्ति का आरोपण अविधिक है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परफैटी वानमले के प्रकरण संख्या 473/2011 निर्णय दिनांक 17.02.2017 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम तामिलनाडू राज्य एवं अन्य के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 26 टैक्स अपडेट 01 में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में राजस्व की अपीलें अस्वीकार की जाती हैं। इसके अलावा अपीलीय अधिकारी ने रूपये 1,29,095/- एवं 1,31,232/- को दोहरे करारोपण के परीक्षण के आधार पर उसे कम किया है जो स्वयं कर निर्धारण अधिकारी की त्रुटि थी, जिसे तुरन्त स्वीकार करते हुए इतनी राशि कर निर्धारण आदेश में कम कर देनी चाहिये थी क्योंकि दिनांक 31.8.2009 के आदेश के अवलोकन पर अन्तिम पृष्ठ



 लगातार.....5

पर जो गणना की गयी है उसमें अधिनियम की धारा 24 में गणना करते समय हर्बल क्रीम पर 12.5 प्रतिशत से कर आरोपित किया गया है जबकि 8.5 प्रतिशत से पूर्व में आरोपित कर जो 19.7.2008 को आरोपित किया गया था उसे भी पुनः आरोपित कर दिया गया है। इस तरह अपीलीय अधिकारी ने त्रुटिपूर्ण आदेश में से त्रुटि को समाप्त करते हुए उसी राशि पर दो बार लगाये गये कर, ब्याज को अपास्त किया है, अतः अपीलीय आदेश सुविचारित एवं पूर्ण परीक्षण के बाद किया गया आदेश है जिसमें कोई त्रुटि नहीं होने से राजस्व की अपीलें खारिज की जाती हैं।


11. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से जो अपील प्रस्तुत की गयी है जिसमें प्रस्तुत किये गये अपील आधारों एवं मौखिक बहस में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि मिक्स मसाले एवं हर्बल क्रीम पर किस प्रकार से 4 प्रतिशत से कर आरोपणीय था, जबकि वेट अधिनियम की अनुसूची-IV में इन दोनों ही आइटम का नाम अंकित नहीं है। इसी तरह उचन्ति बिक्री पर आरोपित शास्ति की पुष्टि करने के विरुद्ध भी कोई ठोस तर्क नहीं दिया गया है, फलतः अपीलीय अधिकारी द्वारा किया गया निर्णय पूर्णतया विधिसम्मत होने से इसके विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी एवं अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत सभी अपीलें खारिज की जाती हैं एवं कर निर्धारण अधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि जो दोहरा करारोपण किया गया था वह राशि अपने कर निर्धारण आदेश में कम करें।

12. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी एवं अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत चारों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

13. निर्णय सुनाया गया।


18.9.2018

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य


(के. एल. जैन)
सदस्य